दिनांक 19.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 19/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस स्मृति दिवस–2021 का पूर्वाभ्यास

आज दिनांक 19.10.2021 को प्रातः 08.00 बजे रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में दिनांक 21.10.2021 को आयोजित की जाने वाली 'पुलिस स्मृति दिवस' परेड 2021 का कोविड–19 के दृष्टिगत भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का अनुपालन करते हुये फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया।

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया गया। पूर्वाभ्यास परेड की कमान्ड श्री संजीव सुमन, पुलिस उपायुक्त, पूर्वी , लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा की गयी। परेड में नागरिक पुलिस, पीएसी, महिला पुलिस, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, यातायात पुलिस, एटीएस, आर0आर0एफ0 एवं एसडीआरएफ, एसएसएफ की टीमें सम्मिलित हुई।

पूर्वाभ्यास के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को परेड के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों से वार्तालाप किया गया तथा दिनांक 21 अक्टूबर 2021 'पुलिस स्मृति दिवस' की महत्ता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन लखनऊ में किया जायेगा। मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 उक्त अवसर पर शहीदों को श्रद्धान्जलि अर्पित कर उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे।

पुलिस कमिश्नरेट
लखनऊ

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदर बाजार

•25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.10.2021 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओसीएफ मन्दिर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त वेद व्यास उर्फ वेदी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर, पीलीभीत के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, जुआ एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व गैंगेस्टर आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– वेद व्यास उर्फ वेदी निवासी खलील गर्वी थाना कोतवाली, शाहजहॉपुर।

जनपद जालौन/थाना डकोर

•लूट की घटना का अनावरण

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•11 हजार 800 रूपये नगद

•लूटा गया मोबाइल फोन कीपैड

•घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल

•02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 19.10.2021 को थाना डकोर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेतवा नदी पुल सीमा हमीरपुर वहद ग्राम मुहाना से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–प्रदीप उर्फ नन्ना 2–सतेन्द्र उर्फ सत्तू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 हजार 800 रूपये नगद, लूटा गया मोबाइल फोन कीपैड, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.08.2021 को थाना डकोर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना डकोर पर अन्तर्गत धारा 392/504 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना डकोर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रदीप उर्फ नन्ना निवासी ग्राम ऐर थाना डकोर जनपद जालौन।

2—सतेन्द्र उर्फ सत्तू निवासी ग्राम बम्हौरी थाना आटा जनपद जालौन

बरामदगी

1—11 हजार 800 रूपये नगद।

2—लूटा गया मोबाइल फोन का कीपैड।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

4— 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना पुरानी बस्ती

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.10.2021 को थाना पुरानी बस्ती व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना पुरानी बस्ती क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त

आकाश उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पुरानी बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0—167/2021 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पुरानी बस्ती पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश उर्फ विक्की निवासी पूरेपवारा मौजा सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2— 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस आदि।

- **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो—1 गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना बादलपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त बिज्जू उर्फ विजय को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना पीपरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 52 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 पॉक्सो कोर्ट–12 जनपद सुल्तानपुर द्वारा थाना पीपरपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376डी/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त 1–अरूण कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 52 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना पीपरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष जज, पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्याः 12 सुल्तानपुर द्वारा थाना पीपरपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त रईस चिकवा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना संग्रामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को 09–09 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी, सुल्तानपुर द्वारा थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 306/498ए भादवि में अभियुक्त 1–सुनील कुमार उर्फ राजीव कुमारी तिवारी 2–बब्लू उर्फ अनिल कुमार तिवारी 3–सुशीला पत्नी बब्लू उर्फ अनिल कुमार तिवारी को 09–09 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

––––––